

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पिठासीन अधिकारी:- मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 47/2018 वाद

दायर दिनांक :- 02/05/2018

निर्णय दिनांक :- 21/01/2021

अनवान

- 1 लक्ष्मणसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत निवासी पिपली डोडीयान तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

- 1 नारायणसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत निवासी पिपली डोडीयान तहसील रेलमगरा
2 सीताकुंवर पिता भंवरसिंह पति डुंगरसिंह राजपुत निवासी पिपली डोडीयान हाल निवासी दांतीवाड़ा
3 हंजाकुंवर पति भंवरसिंह राजपुत निवासी पिपली डोडीयान तहसील रेलमगरा
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादी

वाद बाबत् विभाजन

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम पिपली डोडीयान में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 531, 532, 542, 543, 544, 556, 557, 622, 623, 624, 632, 963 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 19-02 बिघा भूमि स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	लक्ष्मण सिंह पिता भंवर सिंह राजपुत सा. देह खातेदार मु.बि.क:- आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा-राजसमंद	531/1 532/1 542/1 622/1 623 963/1	00.18 00.19 00.04 00.17 01.01 00.17	01.80 01.90 00.10 00.43 04.13 01.70
	योग :-	कित्ता-06	04.16	10.06

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

2.	नारायण सिंह सीताकुंवर पिता भंवरसिंह हंजाकुंवर पति स्व. भंवर सिंह राजपूत सा. देह हि.ब.खातेदार मु.बि. क:- आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा-राजसगंद नारायण सिंह , हंजाकुंवर पर	531 मीन	00.18	01.35
		532 मीन	00.19	01.90
		542 मीन	01.10	02.92
		543	01.02	04.95
		544	01.13	07.43
		556	00.15	03.03
		557	00.09	01.77
		622 मीन	00.16	00.40
		624	00.17	00.43
		632	00.15	02.63
		963 मीन	04.12	09.20
		योग :-		किता-11

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। रहन यथावत् रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक तहसीलदार
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा